दिनाक 02.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 02/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद चन्दौली/थाना सैयदराजा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 02.07.2022 को थाना सैयदराजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौबतपुर मॉडल शाप से पहले रोड के पास से 05 अभियुक्तों 1–अभिषेक उर्फ छोटू 2–पवन 3–अनिल 4–रणवीर 5–पिन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, स्टेट बैंक की जमा पर्ची फर्म के नाम, बैंग बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 06.06.2022 को थाना सैयदराजा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सैयदराजा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सैयदराजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अभिषेक उर्फ छोटू निवासी सिगठी थाना भभुआ जनपद कैमूर, बिहार।

2—पवन निवासी डुमरकोन थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ, बिहार।

3—अनिल निवासी डुमरांवा थाना अघौरा जनपद कैमूर भभुआ, बिहार।

4—रणवीर निवासी खमदौरा थाना दुर्गावती जनपद कैमूर भभुआ, बिहार।

5—पिन्टू निवासी वनधा थाना अघौरा जनपद कैमूर भभुआ, बिहार।

बरामदगी

1—लूट के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2—04 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

5—04 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

6— स्टेट बैंक की जमा पर्ची फर्म के नाम, बैंग।

जनपद मैनपुरी/थाना दन्नाहार

- **पुलिस कार्यवाही में 45 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01.07.2022 को थाना दन्नाहार, कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल

सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—भिन्ना उर्फ ईशव उर्फ इमरान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—जमील उर्फ सोहेल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त भिन्ना उर्फ ईशव उर्फ इमरान विरूद्ध जनपद मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग व अभियुक्त जमील उर्फ सोहेल के विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मैनपुरी व फिरोजाबद में पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद फिरोजाबाद से 20 हजार रूपये व जनपद मैनपुरी से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दन्नाहार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—भिन्ना उर्फ ईशव उर्फ इमरान निवासी ग्राम डेरा बंजारा घुराई थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी।

2—जमील उर्फ सोहेल निवासी ग्राम नोनामई डेरा बंजारा थारना बरनाहल जनपद मैनपुरी।

<u>बरामदगी</u>

1— 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

2— चोरी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद बिजनौर/थाना नजीबाबाद

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के माल ब्रिकी के 8580/— रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 01.07.2022 की रात्रि थाना नजीबाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आजाद चौक के पास से चेकिंग के दौरान अभियुक्त साबिर उर्फ बुड्ढा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के माल ब्रिकी के 8580/—रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 11.06.2022 को थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0—262/2022 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साबिर उर्फ बुड्ढा निवासी अमन कालोनी करौंद थाना निसातपुरा जनपद भोपाल, म0प्र0।

बरामदगी

1—लूट के माल ब्रिकी के 8580/—रूपये नगद।

2— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24

- 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 10 कार
- 13 कार की चाबियां विभिन्न कम्पनियों की
- वाहन चोरी करने के उपकरण बरामद

दिनांकः 02.07.2022 को थाना सेक्टर–24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–54 टी प्वाइंट के पास से 03 शातिर अभियुक्तों 1–वाहिद उर्फ डाक्टर 2–रविन्द्र 3–अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 कार, 13 कार की चाबियां विभिन्न कम्पनियों की, वाहन चोरी करने के उपकरण बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त वाहिद उर्फ डाक्टर के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 44 अभियोग, अभियुक्त रविन्द्र, अभियुक्त अमन के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली प्रान्त के थानों पर वाहन चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–24 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वाहिद उर्फ डाक्टर निवासी ग्राम राधना थाना किठौर जनपद मेरठ हालपता–वार्ड नं0–12 कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड।

2–रविन्द निवासी कुचेसर चौपला फ्लाई ओवर के पास थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।

3–अमन निवासी ग्राम राजपुर की मढैय्या थाना सिंभावली जनपद हापुड।

बरामदगी

1–चोरी की 10 कार।

2–13 कार की चाबियां विभिन्न कम्पनियों की।

3–वाहन चोरी करने के उपकरण।

➢ **जनपद बलिया/थाना गड़वार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट सं0–2 जनपद बलिया द्वारा थाना गड़वार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शिवप्रसाद को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 10 करोड़ 02 लाख 80 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त तैय्यब निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 10 करोड़ 02 लाख 80 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

➢ **<u>जनपद सीतापुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ 25 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस ने अभियुक्त मुजीब अहमद निवासी बट्सगंज थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर मूलपता–ग्राम गजपतिपुर थाना महोली जनपद सीतापुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ 25 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

➢ **<u>जनपद रायबरेली (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 87 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस ने अभियुक्त केतन उर्फ कुंवर प्रवीण सिंह निवासी पिण्डारी खुर्द थाना महराजगंज, जनपद रायबरेली द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 87 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>एसटीएफः विभिन्न कार एजेंसियों के मालिक बनकर Whatsapp/Virtual number का प्रयोग कर, धोखाधड़ी कर आर0टी0जी0एस0/नेट बैंकिंग के माध्यम से करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 03 अभियुक्त लखनऊ से गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 01–07–2022 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विभिन्न कार एजेंसियों के मालिक बनकर Whatsapp/Virtual number का प्रयोग कर, धोखाधड़ी कर आर0टी0जी0एस0/नेट बैंकिंग के माध्यम से करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 03 अभियुक्तों को लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. विजय कुमार प्रजापति पुत्र महिपाल प्रजापति निवासी सी–2/959 हर्ष विहार दिल्ली, मूल पता ग्राम गुलावटी ऐचाना थाना गुलावटी जनपद बुलन्द शहर।
2. प्रदीप शर्मा पुत्र त्रिलोक चन्द्र शर्मा निवासी बी–400 विकासकुन्ज इन्दिरापुरी लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
3. अमीरूद्दीन उर्फ आमिर पुत्र कमालुद्दीन निवासी हर्ष विहार मकान नम्बर बी–2/242 गली नम्बर 14 दिल्ली।

बरामदगी–

1. 01 अदद क्रेडिट कार्ड।
2. 05 अदद मोबाइल।
3. 03 अदद आधार कार्ड (02 कूटरचित एक ही फोटो से सुनील के नाम से)
4. 01 अदद स्वीफ्ट कार (कार नम्बर DL 08 C AX 8796)
5. 04 अदद सिम किट।
6. 03 अदद सिम।
7. 16 अदद फर्जी दस्तावेज की छायाप्रति।
8. रू0 1340/नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक/स्थान व समयः–

दिनांकः 01.07.2022, **स्थानः** मोहान रोड फ्लाई ओवर के नीचे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस–वे के पास लखनऊ **समयः** 17:30 बजे।

दिनांकः 29–09–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर विभिन्न बैंकों से धोखाधडी कर आर0टी0जी0एस0/नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/यू0पी0आई0/एटीएम कैश विड्राल के माध्यम से करोडों रूपये की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्तों को जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार कर थाना गाजीपुर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 378/2021 धारा 406/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 व 66 सी व डी सचूना प्रोद्यौगिकी अधि0 का सफल अनावरण करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई थी।

उपरोक्त मुकदमा स्वाती अग्रवाल, मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा, इस्माईलगंज, लखनऊ द्वारा पंजीकृत कराया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि माह मई 2021 में ज्वाइन किया। दिनांक 05–07–2021 को बैक के पूर्व मैनेजर दीपक सिंह ने फोन कर बताया कि स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा, इस्माईलगंज, लखनऊ में निवान बाला जी आटो मूवर्स प्रा0लि0 के नाम से चालू खाता है, जिसके प्रबन्धक श्री नवनीत पाण्डेय है, वह आपको काल करेंगें और बैंक से सम्बन्धित कार्य हेतु कहेंगे। इसके कुछ देर बाद स्वाती अग्रवाल को एक फोन काल आया, काल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम नवनीत पाण्डेय बताया। ट्रू कालर पर काल करने वाले का नाम नवनीत पाण्डेय डायरेक्टर, “किया मोटर्स” दिखा रहा था। काल करने वाले व्यक्ति द्वारा यह निवेदन किया गया कि तत्समय वह अस्पताल में है। उसके कुछ कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है, जिनको तत्काल पैसों की आवश्यकता है। खाते की चेकबुक समाप्त हो गयी है। बैंक द्वारा उनका सहयोग नही किया गया तो वह उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे। इसके उपरान्त काल करने वाले व्यक्ति द्वारा व्हाटसएप के माध्यम से 02 पत्र भेजे गये जो निवान बाला जी आटो मूवर्स के लेटर हेड पर थे तथा निवान बाला जी आटो मूवर्स के रबड़ स्टाम्प के साथ प्रबन्ध निदेशक नवनीत पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षरित भी थे, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उनके 04 कर्मचारियों के बैंक खातों को एड़ कर तत्काल क्रमशः रूपये 570419/–, 893000/–, 480000/–, 750427/–, 626590/–आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ट्रान्सफर कर दिये जायें। स्वाती अग्रवाल द्वारा प्राप्त लेटर हेड का बैंक में उपलब्ध अभिलेखों से मिलान कराकर कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए दोनों पत्रों में अंकित राशि खाता धारकों के खातों में शाखा द्वारा कुल रूपये 33,20,436/–(तैतीस लाख बीस हजार, चार सौ छत्तीस) ट्रान्सफर कर दिया गया। जिसके उपरान्त बाला जी आटों प्राइवेट लि0 द्वारा उनके बैंक खाते से रूपये कटने की बात की गयी। जिसपर बैंक द्वारा बताया गया कि आपके प्रबन्ध निदेशक द्वारा 02 पत्र भेजकर रूपये ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था। इसपर श्री नवनीत पाण्डेय ने बताया कि न उन्होने कोई फोन किया है और न ही कोई लेटर भेजा है। किसी व्यक्ति द्वारा धोखाधडी कर कूटरचित लेटर भेज कर उपरोक्त धनराशि उनके बैंक खाते से ट्रासफर करायी गयी है।

दिनांक 29.09.2021 को गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों से पूछताछ से जानकारी प्राप्त हुई कि गिरोह के लिए विजय प्रजापति, विनय उर्फ बबलू, कपूर चाचा, प्रदीप शर्मा, अमीरूद्दीन, साहिल आदि द्वारा गूगल से कार एजेन्सियों की जानकरी प्राप्त कर गाडी खरीदने का झांसा देकर एजेन्सियों की बैंक डिटेल धोखे से प्राप्त कर कम्पनियों के मालिकों की डीपी Whatsapp पर लगाकर बैकों के मैनेजरों

को काल/मैसेज के माध्यम से यह विश्वास दिलाकर कि वह कम्पनी के मालिक ही हैं। इसके बाद इमरजेंसी होने का झांसा देकर, धोखे से अलग अलग बैंक खातों मे रूपये डलवा लिये जाते हैं। जब रूपये बैंक खातों मे आ जाते हैं तब उन खातों से साहिल द्वारा Internet banking/mobile banking के माध्यम से पूर्व से एडेड बेनीफीसरी खातों में रूपये ट्रांसफर कर दिये जाते है। इसके बाद विभिन्न शहरों के एटीएम पर मौजूद हमारे गैंग के सदस्यों द्वारा कुछ ही मिनटों मे रूपये निकाल लिया जाता है। उपरोक्त के क्रम में विशाल विक्रम सिंह प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

साइबर टीम एसटीएफ द्वारा उप निरीक्षक श्री पकंज सिंह व उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 01–07–2022 को समय करीब 17:30 बजे साइबर टीम एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ व थाना गाजीपुर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा पारा थाना क्षेत्र लखनऊ से उपरोक्त संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

दिनांक 01.07.2022 को गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में मास्टर मांइड अभियुक्त विजय प्रजापति ने बताया कि बैंकों से धोखाधडी कर ठगी करने का एक संगठित गिरोह है, मो0 सरीफ, शाहिल, अमीरूद्दीन व प्रदीप शर्मा द्वारा कूटरचित/फर्जी नाम पते पर बैंक खाते खुलवाये जाते है व फर्जी नाम पते की सिम खरीदी जाती है। मै गूगल से कार एजेन्सियों की जानकरी प्राप्त कर गाडी खरीदने का झांसा देकर एजेन्सियों की बैंक डिटेल धोखे से प्राप्त कर लेता हॅू इसके बाद विनय उर्फ बबलू व कूपर चाचा (बर्खास्त बैंक कर्मी) द्वारा एजेन्सियों के मालिकों की डीपी Whatsapp पर लगाकर बैकों के मैनेजरों को काल/मैसेज के माध्यम से यह विश्वास दिलाकर कि वह कम्पनी के मालिक ही हैं। इसके बाद इमरजेंसी होने का झांसा देकर, धोखे से अलग अलग बैंक खातों मे रूपये डलवा लिये जाते हैं। जब रूपये बैंक खातों मे आ जाते हैं तब उन खातों से शाहिल द्वारा Internet banking/mobile banking के माध्यम से पूर्व से एडेड बेनीफीसरी खातों में रूपये ट्रांसफर कर दिये जाते है। इसके बाद विभिन्न शहरों के एटीएम पर मौजूद हमारे गैंग के सदस्यों द्वारा कुछ ही मिनटों में रूपये निकाल लिया जाता है। हम लोगों द्वारा अबतक लगभग 30 बैंकों से करोडों रूपये की धोखाधडी की जा चुकी है। हमारे गिरोह पर हैदराबाद में बैंक से 36 लाख रूपये की ठगी में मु0अ0सं0 117/2022 धारा 420/467/468/120बी भादवि व 66डी

आईटीएक्ट थाना साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हैदराबाद में इसके अतिरिक्त 03 मुकदमें और पंजीकृत है। छत्तीसगढ़ जनपद दुर्ग के थाना मोहननगर में 28 लाख 50 हजार की ठगी का मुकदमा वर्ष 2022 में पंजीकृत है। हिमांचल प्रदेश के थाना पालमपुर में वर्ष 2020 में पंजाब नेषनल बैंक से 8.50 लाख रूपये की ठगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत है, इसी तरह गाजियाबाद के थाना कविनगर व बरेली में भी कार एजेन्सियों से ठगी के सम्बन्ध में मुकदमें पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य प्रदेषों में भी हमारी गैंग पर लगभग 30 से अधिक मुकदमें पंजीकृत है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना गाजीपुर कमिश्नरेट, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 378/2021 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि 66 सी व डी सचूना प्रोद्यौगिकी अधि0 में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———